



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8271

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43300 वर्ष 2025

सुएब

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संजय सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान एजीए श्री विजेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदक सुएब की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 699/2018, धारा 3/5/8, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, थाना गंज, जनपद रामपुर में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उन्हें इसी प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह 19.9.2025 से जेल में बंद हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था। आवेदक को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया। जांच अधिकारी द्वारा आवेदक की कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराई गई थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक की गिरफ्तारी पर इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 37356/2018 दिनांक 19.12.2018 के आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी। इस प्रकरण में आरोप पत्र पहले ही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26.12.2018 को दायर किया जा चुका है और इस पर 23.5.2019 को संज्ञान लिया जा चुका है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहाई के प्रकरण में उसके न्याय के रास्ते से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जमानत की मांग की गई है।

विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है। उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि के प्रकरण में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया प्रकरण, लेकिन प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के लिए एक प्रकरण बनाया जाता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **सुएब**, जो उपर्युक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/न ही डरायेगा और मुकदमे में सहयोग नहीं करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट नहीं दी जाती है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

13 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।